website : www.allduniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०
Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक: इ0रा0वि0वि0/उ0कु0स0का0/54/2018 दिनांक: 2/2/2018

कार्यालय– ज्ञाप

विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा पत्र सं0– 04/2018/101/सत्तर–1–2018–16(9)/2018, उ0शि0 अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक: 01 फरवरी, 2018 के माध्यम से कतिपय दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त पत्र की प्रति विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र से अवगत होते हुए उसमें उल्लिखित आधारभूत सुविधाओं आदि को अद्यतन कर लें जिससे कि परीक्षा केन्द्र निर्धारित कर आगामी परीक्षाओं को शुचिता व पारदर्शितापूर्ण वातावरण में नकलविहीन सम्पन्न कराया जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।

डॉ0 (साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव/परीक्षा नियन्त्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
2. समस्त अधिकारीगण।
3. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप एवं संलग्नक पत्र की प्रति को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की **College Log-in** पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. निजी सचिव कुलपति जी को, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैय0 सहायक, वित अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(राज बहादुर)
उपकुलसचिव (परीक्षा)

पताः सी०पी०आई० परिसर, महात्मा गाँधी रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उ०प्र०), फोनः 0532–2256207
Address : C.P.I. Campus, Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Allahabad (U.P.) Ph. 0532-2256207

समयबद्ध

संख्या–04/2018/14/सत्तर–1–2018–16(9)/2018

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: 07 फरवरी, 2018

विषय:– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति–व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

(1) राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त एवं संघटक महाविद्यालयों में स्व–केन्द्र के स्थान पर यथासंभव निकटतम महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय किन्तु छात्राओं के लिये स्व–केन्द्र प्रणाली लागू रहेगी।

(2) वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति/शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें वर्ष 2018 में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

Circulate online

(3) महाविद्यालयों की आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं में महाविद्यालय की स्थिति, उसकी धारण क्षमता, फर्नीचर, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा सड़क मार्ग से महाविद्यालयों के मध्य दूरी, इत्यादि को दृष्टिगत रखा जाय तथा उक्त सुविधाओं के अभाव में महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(4) परीक्षा केन्द्र चयनित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध पक्के/लिंटर्ड शिक्षण कक्षों की संख्या के सापेक्ष उनकी धारण क्षमता, फर्नीचर की व्यवस्था, चहारदीवारी, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि को दृष्टिगत रखते हुये सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाये, तत्पश्चात स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जायेगा।

(5) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

Nakal G.O/c-3

(6) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय में अग्निशमन के निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित प्रबंध अनिवार्य होगा।

(7) परीक्षा केन्द्र बनने वाले महाविद्यालयों में विद्युत की अबाध आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके दृष्टिगत जेनरेटर का भी वैकल्पिक प्रबंध होना अनिवार्य होगा।

(8) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय होना अति आवश्यक होगा।

(9) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय मुख्य/सम्पर्क सर्वऋतु मार्ग से जुड़ा हो, ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की आकस्मिक जांच एवं नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्वक हो सके।

(10) राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पूर्ण धारण क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाय।

(11) एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।

(12) यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगा कर या खुले में परीक्षाएं आयोजित न करायी जाय।

(13) एक ही प्रायोजक संस्था द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रायोजक संस्था द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय। इसके साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किए जाने का भी निषेध किया जाता है। इस प्रकार केन्द्रों का आवंटन कदापि न किया जाय।

(14) परीक्षा केन्द्र यथासम्भव 08 कि0मी0 की परिधि के महाविद्यालयों में निर्धारित किया जाय।

(15) वर्ष 2018 की परीक्षाओं हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो उन्हें अपने ही महाविद्यालय में केन्द्र आवंटित किया जाय। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को जहां स्वकेन्द्र/स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके, वहां उन्हें अधिकतम 05 कि0मी0 की परिधि के केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाय। यह सुविधा उन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत छात्राओं को भी उपलब्ध कराई जाय जो सहशिक्षा के महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। एक महाविद्यालय की छात्राओं को अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित नहीं किया जाय।

(16) दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाय। अन्यथा स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यथास्थिति स्थानीय/निकटस्थ परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने हेतु समायोजित किया जाएगा।

(17) जिन महाविद्यालयों के डाटा AISHE के पोर्टल पर अपलोड न हो उन्हें यथासंभव परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाय।

(18) जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो ऐसे महाविद्यालयों को भी वर्ष 2018 में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(19) वर्ष 2017 की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(20) जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो उन्हें वर्ष 2018 में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(21) केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-04/2018/101 (1)/सत्तर-1-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।